न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 178 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कलाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी डूगेरों का तला, हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर।		1 आईदान पुत्र गोमाराम 2.खेमाराम पुत्र दुर्गाराम 3.गोगाराम चौधरी पुत्र मुलाराम 4.दमीदेवी पत्नी मुलाराम 5.नानगाराम पुत्र गोमाराम 6.पेमी पत्नी दुर्गाराम 7.बालाराम पुत्र दुर्गाराम 8.मालु पत्नी गोमाराम 9.वीराराम पुत्र दुर्गाराम 10.हरा पुत्र गोमा जातियान जाट निवासीयान डूगेरो का तला, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर 11. तहसीलदार बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री विष्णु चौधरी, वकील प्रार्थी।
2. श्री भोमाराम चौधरी अप्रार्थी संख्या 02 व 05

आदेश

दिनांक 12/09/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एंव कब्जाकाश्त के खेत मौजा डूगेरों का तला पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 651 / 186 रकबा 3.7959 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 10 के खेत मौजा मौजा डूगेरों का तला पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 187 रकबा 1.8939 हैक्टेयर में से चल रहें रास्ते जिसका वक्त सेटलमेंट से उपयोग में ले रहें है इसलिए उक्त मार्ग को खुलवाना चाहते हैं जो सड़क तक जाने के लिए एक मात्र रास्ता है । इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 10 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे सरकारी मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 05 के अधिवक्ता उपस्थित शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 05 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 651 / 186 रकबा 3.7959 हेक्टेयर व खसरा संख्या 187 में जिस स्थान पर प्रार्थी द्वारा जो रास्ता उपयोग में लेना बताया है उस स्थान पर न तो कभी मार्ग था न हीं वर्तमान में हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट "अ" के अनुसार रास्ता मांगा गया उस स्थान पर कोई रास्ता नहीं हैं, वहां कभी कोई मार्ग अथवा रास्ता न तो था और वर्तमान में भी नहीं हैं। प्रार्थी के द्वारा विप्रार्थी के खसरा संख्या 187 में से जिस स्थान का रास्ते के रूप में उपयोग किया था और आज भी किया जा रहा हैं संलग्न जवाब के साथ परिशिष्ट ब के भाग सी से डी में दर्शाया गया तथा प्रार्थी के सेढा सेढ ही प्रार्थी के सगे भाई कौशलाराम का खसरा संख्या 652 / 186 की भूमि आई हुई हैं उसे प्रार्थी को कटाण रास्ते से जोड़ने हेतु खसरा संख्या 187 व 652 / 186 के सेढा सेढ भूमि रास्ते हेतु दिनांक 09.07.2025 को 0.0728

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

हेक्टेयर भूमि समर्पण करवा दी उस समर्पण भूमि से प्रार्थी के खसरा संख्या 651/186 की भूमि सटी हुई है। विप्रार्थी के सेढा सेढ ही प्रार्थी के खसरा संख्या 651/186 की भूमि आई हुई हैं यदि प्रार्थी को विप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ संलग्न परिशिष्ठ ब के भाग सी से डी की भूमि अगर रास्ता के लिए दी जाती हैं तो उसके बराबर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 651/186 में से कम कर खसरा संख्या 187 के हिस्से में शामिल की जावे, विप्रार्थी प्रतिकर के रूप में भूमि के बदले भूमि लेना चाहता हैं, नकद राशि नहीं लेना चाहते हैं अतः प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 651/186 में से सड़क मार्ग पर आने जाने हेतु जो परिशिष्ठ अ बरंग लाल संलग्न किया है उसे खारिज किया जावे। जवाब के संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जावे तथा भूमि के बदले भूमि दी जावे तो विप्रार्थी को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/2025/833 दिनांक 30.07.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा डूगेरो का तला पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेंर के खसरा नंबर 651/186 मौजा डूगेरों का तला पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 651/186 रकबा 3.7959 हैक्टेयर से डामर सड़क तक रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4		5	6
1	आईदान पुत्र गोमा हि.1/12, खेमाराम पुत्र दुर्गा हि. 1/12, गोगाराम चौधरी पुत्र मूला हि. 1/6, दमीदेवी पत्नी मूला हि. 1/6, नानगा पुत्र गोमा हि. 1/12, पेमी पत्नी दुर्गा हि.1/12, बालाराम पुत्र दुर्गा 1/12 हिस्सा, मालू पत्नी गोमा हि. 1/12, वीराराम पुत्र दुर्गा हि. 1/12, हरा पुत्र गोमा हि. 1/12 सा. देह खातेदार	187	1.8939	बा.दो.	27 X 3	0.0324
2	योग	1	1.8939		27 X 3	0.0324

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:48:21 IST
Reason: Self Attested

वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 05 ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 651/186 रकबा 3.7959 हैक्टेयर से खसरा संख्या 187 में जिस स्थान पर प्रार्थी द्वारा जो रास्ता उपयोग में लेना बताया है उस स्थान पर तो कभी मार्ग था न हीं वर्तमान में हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ठ "अ" के अनुसार रास्ता मांगा गया उस स्थान पर कोई रास्ता नहीं हैं, वहां कभी कोई मार्ग अथवा रास्ता न तो था और वर्तमान में भी नहीं हैं। प्रार्थी के द्वारा विप्रार्थी के खसरा संख्या 187 में से जिस स्थान का रास्ते के रूप में उपयोग किया था और आज भी किया जा रहा हैं संलग्न जवाब के साथ परिशिष्ठ ब के भाग सी से डी में दर्शाया गया तथा प्रार्थी के सेढा सेढ ही प्रार्थी के सगे भाई कौशलाराम का खसरा संख्या

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

652/186 की भूमि आई हुई हैं उसे प्रार्थी को कटाण रास्ते से जोड़ने हेतु खसरा संख्या 187 व 652/186 के सेढा सेढ भूमि रास्ते हेतु दिनांक 09.07.2025 को 0.0728 हेक्टेयर भूमि समर्पण करवा दी उस समर्पण भूमि से प्रार्थी के खसरा संख्या 651/186 की भूमि सटी हुई है। विप्रार्थी के सेढा सेढ ही प्रार्थी के खसरा संख्या 651/186 की भूमि आई हुई हैं यदि प्रार्थी को विप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ संलग्न परिशिष्ठ व के भाग सी से डी की भूमि अगर रास्ता के लिए दी जाती हैं तो उसके बराबर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 651/186 में से कम कर खसरा संख्या 187 के हिस्से में शामिल की जावे, विप्रार्थी प्रतिकर के रूप में भूमि के बदले भूमि लेना चाहता हैं, नकद राशि नहीं लेना चाहते हैं अतः प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 651/186 में से सड़क मार्ग पर आने जाने हेतु जो परिशिष्ठ अ बरंग लाल संलग्न किया है उसे खारिज किया जावे। जवाब के संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जावे तथा भूमि के बदले भूमि दी जावे तो विप्रार्थी को कोई आपति नहीं है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को यदि रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को राशि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि दी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा संख्या 651/186 की भूमि से सड़क तक आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 187 में से बरंग लाल प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन है। उक्त प्रस्तावित रास्ता सीधा सड़क मार्ग से जुड़ता है। । उक्त प्रस्तावित रास्ते की दूरी अन्य विकल्प से कम होने से व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही होने के कारण प्रस्तावित किया जाना उचित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है" जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा आपति प्रस्तुत की गई कि प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि की राशि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि दी जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगेरो का तला पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेंर के खसरा नंबर 651/186 मौजा डूंगेरों का तला पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 651/186 रकबा 3.7959 हैक्टेयर से डामर सड़क तक रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल. सी. दर से दुगुनी राशि की गणना की जाकर राशि का अंकन निम्न प्रकार से प्रस्तावित

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (फीट में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3	4		5	6
1	आईदान पुत्र गोमा हि.1/12, खेमाराम पुत्र दुर्गा हि. 1/12, गोगाराम चौधरी पुत्र मूला हि. 1/6, दमीदेवी पत्नी मूला हि. 1/6, नानगा पुत्र गोमा हि. 1/12, पेमी पत्नी दुर्गा हि.1/12, बालाराम पुत्र दुर्गा 1/12 हिस्सा, मालू पत्नी गोमा हि. 1/12, वीराराम पुत्र दुर्गा हि. 1/12, हरा पुत्र गोमा हि. 1/12 जाति जाट सा. देह खातेदार	187	1.8939	वा.दो.	27 X 3	0.0324
कुल योग		1	1.8939		27 X 3	0.0324

तहसीलदार बाडमेर को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में से आईदान पुत्र गोमा हि.1/12, खेमाराम पुत्र दुर्गा हि. 1/12, गोगाराम चौधरी पुत्र मूला हि. 1/6, दमीदेवी पत्नी मूला हि. 1/6, नानगा पुत्र गोमा हि. 1/12, पेमी पत्नी दुर्गा हि.1/12, बालाराम पुत्र दुर्गा 1/12 हिस्सा, मालू पत्नी गोमा हि. 1/12, वीराराम पुत्र दुर्गा हि. 1/12, हरा पुत्र गोमा हि. 1/12 जाति जाट को रकबा 0.0324 भूमि प्रार्थीगण की भूमि में से खातेदारान को रकबा अनुसार भूमि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि उक्त खातेदारान के नाम क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

आदेश आज दिनांक 12/09/2025 को [illegible] स सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर